निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1941 (श0)

(सं0 पटना 1122) पटना, सोमवार, 30 सितम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2019

अधिसूचना संख्या 16/2019–राज्य कर (दर)

एस०ओ० 362, दिनांक 30 सितम्बर 2019––बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 03/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 546, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद (5) के पश्चात, निम्नलिखित मद को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(6) हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाईसेंसिंग पॉलिसी (HELP) या ओपेन एक्रेज लाईसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन प्रारंभ किए गए पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन या कोयला संस्तर संबंधी प्रचालन";

(ii) अनुबंध में, शर्त संख्या 1 के समक्ष, उपवाक्य (ड.) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"परंतु जहां इस प्रकार पूर्ति किए गए माल का विकृत के पश्चात अप्रयोज्य रूप में निपटान किया जाना है, वहां बाह्य आपूर्ति का प्राप्तकर्ता या अंतरिती, जैसी भी स्थिति हो, अपने विकल्प पर ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य के 9 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे निस्तारण से पूर्व उक्त बाह्य आपूर्ति का प्राप्तकर्ता या अंतरिती, जैसी भी स्थिति हो, उस उप आयुक्त, केन्द्रीय कर या सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर या उप आयुक्त, राज्य कर या सहायक आयुक्त, राज्य कर, जैसी भी स्थिति हो, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त माल का आपूर्तिकर्ता आता हो, को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के किसी विधिवत अधिकारी से प्राप्त

इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उक्त माल अप्रयोज्य हो गया है और यह निपटान से पहले विकृत भी हो गया है";

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

[सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–7)–16]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

30 सितम्बर 2019

एस० ओ० 362, दिनांक 30 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–7)–16]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 30th September 2019

Notification No. 16/2019- State Tax (Rate)

S.O. 362 dated the 30th September 2019-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 03/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 546, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(i) in the TABLE, against S. No. 1, in column (3), after item (5), the following item shall be inserted, namely: -

"(6) Petroleum operations or coal bed methane operations undertaken under specified contracts under the Hydrocarbon Exploration Licensing Policy (HELP) or Open Acreage Licensing Policy (OALP)";

(ii) in the ANNEXURE, against Condition No. 1, in clause (e), the following proviso shall be inserted, namely: -

"**Provided** that where the said goods so supplied are sought to be disposed of in non-serviceable form, after mutilation, the recipient of outward supply or the transferee, as the case may be, may at his option, pay the tax at the rate of 9 per cent. on transaction value of such goods subject to the condition that the recipient of outward supply or the transferee, as the case may be, produces before the Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, having jurisdiction over the supplier of goods, a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the said goods are non-serviceable and have been mutilated before disposal.".

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7)-16)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1122-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in